

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2016—आषाढ़ 29, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. बी-8-13-2016-चौदह-2.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में जारी अधिसूचना क्रमांक 288 दिनांक 14 जुलाई 2016 निरस्त की जाकर संशोधित अधिसूचना निम्नानुसार है:—

यूनिफाईड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम (UPIS) का क्रियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चयनित बीमा कम्पनियों एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड तथा एच.डी.एफ.सी. इरगो द्वारा ही संबंधित जिलों में किया जावेगा.

यूनिफाईड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम (UPIS) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों का लाभ ऐच्छिक रूप से किसान द्वारा लिया जावेगा. योजना अन्तर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिये माना जावेगा.

यूनिफाईड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम (UPIS) में सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. (1)	प्रयोजन (2)	बीमित राशि (रु.) (3)	सांकेतिक प्रीमियम राशि (4)
1	(अ) भवन (आगजनी तथा संबंधित जोखिम)	50,000	रु. 40/- (सेवाकर अतिरिक्त)
	(ब) वस्तु बीमा	20,000	रु. 20/- (सेवाकर अतिरिक्त)
2	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	2,00,000	रु. 12/- प्रति व्यक्ति
3	कृषि पंप सेट बीमा (10 हार्स पावर तक)	25,000	रु. 438/- (सेवाकर अतिरिक्त)
4	विद्यार्थी सुरक्षा बीमा—		
	(अ) दुर्घटना से मृत्यु	50,000	
	(ब) पूर्ण दिव्यांगता	50,000	रु. 75/- प्रति विद्यार्थी (सेवाकर अतिरिक्त)

(1)	(2)	(3)	(4)
	(स) एक आंख एवं एक कान क्षतिग्रस्त होने पर	25,000	रु. 75/- प्रति विद्यार्थी (सेवाकर अतिरिक्त)
	(द) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर	5,000	
5	जीवन बीमा	2,00,000	रु. 330/- प्रति व्यक्ति
6	कृषि ट्रैक्टर बीमा	कृषि ट्रैक्टर हेतु स्टेण्डर्ड मोटर बीमा पॉलिसी के अनुसार नियम लागू होंगे.	

अन्य सभी नियम भारत सरकार की यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम गाइड लाईन के अनुसार लागू होंगे.

यह अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2016 से प्रभावी मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. धुर्वे, उपसचिव.